मृत...
अतः दोषी

भवानीपुर
में
फ़र्ज़ी
मुठभेड़

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली
ऐसोसियेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिम बंगाल

मई २००१

विषय सूची

१.	दुआसी की कहानी	१
२.	संदर्भ	३
३.	भवानीपुर गांव	४
४.	दूसरे गांव	६
५.	पुलिस की कहानी	८
६.	पुलिस का दृष्टिकोण	१२
७.	निष्कर्ष	१५

बॉक्स

१.	साले, नक्सलाइट पालते हो!	७
२.	पहचान का सवाल	६

दुआसी की कहानी

२६ मार्च को हमारा जांच दल कामता प्रसाद कोल का घर ढूंढ़ते हुए दर–दर भटकता रहा लेकिन उसे कहीं से भी उनका पता नहीं मिला। लोग या तो जवाब ही नहीं देते थे या सही–सही रास्ता नहीं बताते थे। कामता प्रसाद उमा शंकर के पिता हैं। उमा शंकर जिसे प्यार से सब गुड्डू बुलाते थे, आठवीं कक्षा का विद्यार्थी था और उसका नाम उन १६ लोगों में शामिल है जो भवानीपुर में पुलिस द्वारा मारे गए। टीम घर ढूंढ़ने में नाकामयाब होकर वापस लौट आई।

बंजर ज़मीन पर ढलती शाम के धुंधलके में दूसरे दिन, हमारी मारुति वैन, ड्राइवर के साथ की सीट पर बैठे लड़के व एक साईकल सवार युवक द्वारा बताए रास्ते के अनुसार, एक ढलान पर स्थित दो वीरान घरों के सामने आकर रुकी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाड़े में बछड़ा बंधा था। किसी इंसान का नामोनिशान नहीं था। आस पास कोई है – जानने की कोशिश में चुप्पी से सामना हुआ। थोड़ी दूर पर एक औरत और एक बच्चा जाते हुए दिखाई दिए। "बहन जी, क्या आप गुड्डू की माँ हैं?" पूछने पर जवाब में "ना" सुनने को मिला। आखिरकार जब जांच दल की महिला सदस्या ने आगे बढ़कर बताया कि वह कौन है और वहाँ क्यों आई हैं, तब उन कमज़ोर सी दिखने वाली महिला ने स्वीकारा कि वो गुड्डू की माँ हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले दिन भी उन्होंने वैन की बत्तियाँ देखीं थीं लेकिन वो डर गई थीं। दूसरे गाँववालों ने भी पुलिस के डर से घर का पता नहीं बताया था। कुछ ही दिन पहले १० पुलिस वाले आए थे। उन्होंने दुआसी को बुरी तरह पीटा था। उनकी पड़ोसन उर्मिला को आकर उन्हें संभालना पड़ा था क्योंकि पुलिस के हमले से वो गिरते गिरते बचीं थीं। पुलिस वालों ने उन्हें गालियाँ भी दीं और धमकाया भी कि वो उनकी कोख में पल रहे बच्चे को खत्म कर देंगे। पुलिसवाले एक मरे हुए लड़के की फोटो लाए थे। वे चाहते थे कि गुड्डू की माँ, दुआसी व बिशुनपुर के अन्य लोग कहें कि वो गुड्डू की फोटो है। वह उनसे यह भी ज़बरदस्ती कहलवाना चाहते थे कि गुड्डू एक 'नक्सलवादी' था और एक मुज़रिम भी। फोटो वाले लड़के की दाढ़ी मूछें थीं, और वो किसी भी सूरत में गुड्डू नहीं था जिसकी दाढ़ी मूछें आनी नहीं शुरु हुईं थीं। दुआसी ने गलत शिनाख्त करने से मना कर दिया।

दुआसी के परिवार के पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिससे किसी तरह उनका पेट पलता है। कुछ समय पहले, दुआसी अकेले ही खेत की मेड़ बनाने की कोशिश कर रही थी। कमर तोड़ मेहनत से उसकी पसलियों में चोट आ गई। एक्स–रे करवाने के लिए पैसे नहीं थे। गुड्डू माँ की पीड़ा नहीं देख सका और उसने पढ़ाई छोड़ कर दुआसी के इलाज के लिए पैसे कमाने की ठान

ली। अकेले बाहर जाते हुए अपने १३ वर्षीय बेटे के भविष्य के लिए भयभीत माँ ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन असफल रही। होली से कुछ दिन पहले गुड्डू काम ढूंढने के लिए घर छोड़ कर चला गया।

गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस कई बार उनके घर आ चुकी है और धमकाती है कि वो उनके पति कामता प्रसाद को भी मार देंगे क्योंकि वो सब "नक्सलवादी" हैं। डर के मारे कामता प्रसाद को भी घर छोड़ देना पड़ा है। दुआसी अब मनाती हैं कि उनके पति व बेटा जल्द घर लौट कर ना ही आएं।

***टिप्पणीः** उमा शंकर उर्फ गुड्डू (उम्र दर्ज़ नहीं), पुत्र कामता प्रसाद कोल, रिहाईश बिशुनपुर, थाना मड़िहान, का नाम भवानीपुर कांड में पुलिस द्वारा मारे गए लोगों की फ़ेहरिस्त में नौवें नम्बर पर शामिल है।*

होली के दिन, ६ मार्च २००१ को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भवानीपुर गाँव, (थाना मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर) में १६ लोगों की हत्या कर दी गई। भवानीपुर गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित मिर्ज़ापुर शहर से तकरीबन ६० किलोमीटर की दूरी पर है। वारदात के अगले दिन अखबारों में पुलिस का संक्षिप्त बयान छपा – कि मृतक 'खतरनाक नक्सलवादी' थे जो 'पुलिस मुठभेड़' में मारे गए।

उनके शवों का पुलिस ने अगले ही दिन दाह संस्कार कर दिया। ध्यान रहे घटना के एक महीने बाद तक भी, मारे गए लोगों में से केवल ६ की ही 'पहचान' हो पाई थी। धमकियों, आतंक व भय से भरी शिनाख्त की यह प्रक्रिया अपने आप में एक कहानी है (*देखें बाक्स– पहचान का सवाल*)।

मार्च के आखिर में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.), दिल्ली, और एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (ए.पी.डी.आर.), पश्चिम बंगाल, का एक संयुक्त जांच दल घटना और बाद के घटनाक्रम की जांच के लिए मिर्ज़ापुर गया। टीम भवानीपुर और पास के नडिहार, बहिकटवा और बिशुनपुर के निवासियों और डी.आई.जी., मिर्ज़ापुर, आई.जी. वाराणसी ज़ोन एवं घायल पुलिस सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह से मिली। शेषमणि के पिता, तुलसी (भीटी गांव के शेषमणि का नाम पुलिस द्वारा दी गई मृतकों की सूची में न. ३ पर दर्ज़ है), हरि नारायण उर्फ कल्लू के भाई गुड्डू (खैरपुर गांव के हरि नारायण का नाम मृतकों की सूची में न. ७ पर दर्ज़ है), जगनारायण (खैरपुर गाँव), नडिहार गांव के सुरेश के पिता शिवशंकर (सुरेश का नाम सूची में नं. ४ पर है) – इन के साथ टेप किए गए इंटरव्यू भी टीम ने सुने। टीम ने मेज़िस्टीरियल जाँच कर रहे ए.डी.एम. नरेन्द्र सिंह पटेल, एस.पी. और ए.एस.पी. से मिलने की भी कोशिश करी। प्रस्तुत है इस टीम के अवलोकनों व निष्कर्षों की यह रिपोर्ट।

संदर्भ

भवानीपुर गाँव की जनसंख्या करीब २००० है। गाँव एक सूखी नहर के किनारे पर स्थित है और जातियों के अनुसार अलग अलग टोलों में बंटा हुआ है। उँची जातियाँ व कुरमी जाति के लोग गाँव के मध्य में और कोल (जनजाति), चमार, यादव, नहर के किनारे से आती हुई गलियों द्वारा विभाजित, अलग अलग टोलों में रहते हैं। चमार टोले में लगभग ५० परिवार हैं और कोल लोगों की बड़ी जनसंख्या चमार टोले के किनारों पर रहती है। यहाँ रहने वाले अधिकतर किसान खेतीहर मजदूर या अधिक से अधिक बहुत छोटे किसान हैं। वे भवानीपुर और आस पास के गाँवों के बड़े ज़मीनदारों की ज़मीनों पर काम करते हैं। खेत में पूरे दिन के कड़े परिश्रम की बनिस्पद उन्हें ३ किलो गेहूँ, ५ किलो धान या १५–२० रुपये मिलते हैं।

भवानीपुर के आसपास की मड़िहान तहसील का इलाका मिर्ज़ापुर जिले का तुलनात्मक रुप से सूखा व असिंचित इलाका है। चमार और कोल यहाँ के प्रमुख श्रमिक समूह हैं। परम्परागत उच्च जातियों, ब्राह्मणों और राजपूतों के पास १०० से ५०० एकड़ तक की ज़मीनें हैं। तुलनात्मक रुप से पिछड़ी कुर्मी जाति के लोग इस क्षेत्र के नए ज़मीदार हैं जो पिछले करीब २५ वर्षों में एक नई शक्ति के रुप में उभर कर आए हैं।

अपनी निज़ी ज़मीनों के अतिरिक्त, बहुत पहले से ही ज़मींदारों ने गाँव वालों की ग्राम सभा की ज़मीन पर भी कब्ज़ा जमा लिया था। १९७५ में कई गाँवों में ग्राम सभा की ज़मीन के कुछ हिस्से भूमिहीनों, अधिकतर दलितों और जन जातियों में वितरित कर दिये गए थे। परन्तु आज तक यह पट्टे केवल कागज़ों पर ही हैं।

इस क्षेत्र में गाँववालों के संघर्ष का प्रारंभ २५ साल पहले दिए गए पट्टों पर अधिकार की मांग के लिए संगठित होने से हुआ था। न्यूनतम वेतन, साल भर में कम से कम १०० दिन पक्का काम मिलने का आश्वासन व जातीय शोषण का विरोध आदि मुद्दे भी उनके संघर्ष में शामिल हैं।

कुल मिलाकर इस संघर्ष का इतिहास करीब २० वर्ष से अधिक का नहीं है। इसकी शुरुआत मटिहानी के एक लोकप्रिय नेता रामाधार मौर्य (सी.पी.आई.एम) से हुई जिनकी १९९८ में क्षेत्र के एक बड़े ज़मींदार ने हत्या कर दी थी। इसके पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (लिबरेशन) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.) को इस क्षेत्र में अधिक समर्थन मिलने लगा। परन्तु लोगों की न्यूनतम बुनियादी मांगें जैसे उस ज़मीन पर कब्जा जिस पर उनका कानूनी अधिकार है, न्यूनतम वेतन और पर्याप्त काम ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

दूसरी ओर इन संघर्षों पर राजकीय दमन खासकर पिछले ४–५ सालों में बढ़ता दिखाई दिया है।'

इस राजकीय दमन का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर, बदले की भावना से भरा हुआ और क्रूर है– जिसमें कानूनी व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। इस वर्ष जनवरी में ही गलत पहचान की एक घटना में पुलिस ने पड़ौस के रॉबर्टसगंज से रामेश्वर नामक एक दलित को उठाया और मार दिया था। कहा गया कि वो एक 'नक्सलवादी' था जिसने १९६९ में हेमनाथ चौबे नामक इलाके के बड़े ज़मींदार की हत्या की थी।

राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नामक एक स्वतंत्र संगठन का गठन करने वाले गुलाब सिंह की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी। गुलाब सिंह ज़मीन और वेतन के मुद्दे उठा रहा था। उसने नौगढ़, चंदोली से पिछले जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे और केवल ५० वोटों से पराजित हुआ था। ८ फरवरी २००१ को रॉबर्टसगंज के स्टेशन अफसर ने उसे एक 'कुख्यात नक्सल' करार देकर उठाया और मार डाला। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अब जसवंत सिंह नामक एक प्रसिद्ध गुंडे का, जिसका अहरौरा पुलिस थाने के तहत ७–८ खून और बलात्कार के केसों में हाथ है, संरक्षण कर, नक्सल समर्थक संगठनों पर हमला करने में इस्तेमाल कर रही है।

गाँवों पर धावों के दौरान पुलिस गाँव में बाहर से आए लोगों को तंग कर रही है। इस कारण से गाँववालों का विवाह, मृत्यु या त्यौहारों के अवसरों पर एक दूसरे के गाँव जाना काफी कम हो गया है। भवानीपुर कांड दूसरे गाँव जाने के खतरों का साफ उदाहरण है। इसमें मारे गए सब लोग 'बाहरवाले' थे।

भवानीपुर गाँव

८ मार्च, २००१ को भवानीपुर के चमार टोले में लाल बहादुर के बेटे सत्यदेव का गौना था। इस खास मौके पर एक वीडियो प्लेयर किराए पर लिया गया था व सारी रात फिल्में दिखाई जाने वाली थीं। आस पास के इलाकों से गौने के लिए बहुत लोग आमंत्रित थे और काफी और लोग भी फिल्में देखने आए थे। फिल्में देखने के बाद वे लोग गाँव में ही सो गए थे।

६ मार्च को दोपहर करीब १.३० बजे पुलिस आई। उनमें मड़ीहान थाने का एस.ओ. दिलीप सिंह और लगभग २५–३० पुलिस वाले शामिल थे। गाँववालों को अपने घरों में घुस जाने का आदेश देते हुए ये पुलिस वाले गाँव में घुसे और पप्पू नाम के एक युवक को जबरदस्ती अपने साथ यह पता लगाने के लिए ले गए कि क्या उनका शक कि भगवानदास के घर में नक्सलवादी रहते हैं सही है। जैसे

ही वे अहाते में से घर के चबूतरे की ओर बढ़े, गोलियाँ चलने लगीं। गाँव वालों ने ये आवाज़ अपने घरों के अंदर से सुनी, इसलिए वे टीम को पक्की तरह से नहीं बता सके कि गोलियाँ किस ओर से चलीं थीं। दिलीप सिंह और कांस्टेबल नामवर सिंह के ज़ख्मी होने के साथ साथ इसी गोलीबारी में पप्पू के भी मामूली चोट आई। भगवान दास की पत्नी धनपति के अनुसार पुलिस ने आत्म सम्पर्ण की कोई घोषणा नहीं की थी। थोड़ी ही देर में गोलीबारी रुक गई।

अगले डेढ़ घंटे में बड़ी तादाद में पुलिस वाले गाँव पहुँचे। लगभग शाम ४ बजे गाँववालों को हाथ ऊपर करके घरों से बाहर निकलने का आदेश दिया गया। इस पूरे समय में पुलिस उन्हें गालियाँ देती रही। एक लड़का, हरि नारायण (कल्लू) अपने रिश्तेदार, लाल बहादुर, के घर गौने के लिए आया था। जब उसे घर से बाहर लाया जा रहा था तब उसकी पतलून खिसक गई। उसने पतलून ऊपर खींचने के लिये जैसे ही हाथ नीचे करे पुलिस ने उसे मार डाला। उसका बड़ा भाई जगनारायण उसके दो कदम पीछे था और इस घटना का गवाह है। घटना के समय, जब लालबहादुर की माँ और पत्नी, अपनी आंखों के सामने यह कत्ल होते हुए देख कर, शोर मचाने लगीं तो उन्हें अपना मुँह बन्द रखने को कहा गया और दूसरे लोगों के साथ गाँव के बाहर भेज दिया गया।

गाँव के निवासियों और बाहर से आए लोगों को अलग कर दिया गया। बाहरवालों को दीवार के साथ खड़ा कर के उनसे पूछताछ व ज़ोर–ज़बरदस्ती करी गई। गाँववालों का साफ कहना है कि जिस समय उन्हें अलग कर के खड़ा किया गया था उस समय कोई गोलियाँ नहीं चल रहीं थीं। उन्होंने बार बार दोहराया कि सब लोग हाथ उठा कर घरों से बाहर आए थे। अधिकतर गाँववालों को ज़बरदस्ती सूखी नहर या गांव प्रधान गंगा प्रसाद के अहाते में बैठने को भेज दिया गया था। गाँव छोड़ देने के बाद ही उन्हें गोलियों की आवाज़ें सुनाई दीं। वे करीब रात १२ बजे तक वहाँ बैठे रहे। उन्हें पेशाब करने के लिए भी अपने स्थानों से उठने नहीं दिया गया। साथ बैठे आदमी औरतों को वहीं साथ साथ बैठे हुए पेशाब करने को कहा गया। घर लौटने पर उन्होंने पाया कि जाँच के नाम पर उनके घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए थे और पुलिसवाले उनके गहने, पैसा और अन्य कीमती सामान लूट ले गए थे।

देर रात को, गोलियाँ रुकने के काफी समय बाद, कुछ ही गाँववालों ने मारे जाने वालों के शव देखे क्योंकि उन्हें शवों को हटाने के बाद ही गाँव वापस लौटने दिया गया था। पर घटना के बाद से पुलिस बार बार गाँव आ रही है और मारे जाने वालों की पहचान उगलवाने के लिए गाँववालों से ज़बरदस्ती कर रही है। जब गाँववाले यह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता तो उन्हें नक्सलवादी ठहराया जाता है। आरोप लगाने के साथ साथ गालियाँ भी दी जातीं हैं जो आम तौर पर

दलित और आदिवासी गाँववालों पर केन्द्रित होती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर उन्होंने नक्सलियों की 'मदद' की तो उन्हें मौत, गिरफ्तारी और यंत्रणा का सामना करना पड़ेगा। पुलिस के रवैये के विरुद्ध हल्की सी आवाज़ उठाने का मतलब है लातें–घूसे और खतरनाक धमकियाँ। घटना के पश्चात, पुलिस उत्पीड़न से बचने के लिए कुछ आदमी गाँव छोड़ कर भाग गए हैं। अब उनकें परिवारों वालों को उनका पता बताने के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है।

ए.डी.एम. नरेन्द्र पाल सिंह इस घटना की जाँच कर रहे हैं। भवानीपुर के निवासियों पर दवाब डाला जा रहा है और उन्हें गलत बयान देने के लिए मजबूर करा जा रहा है कि सब मृतक 'नक्सलवादी' थे। २६ मार्च, यानि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित आखरी तारीख से कुछ समय पूर्व, हमारी टीम ने पाया कि गवाहों को उन्हीं पुलिसवालों की निगरानी में गवाही के लिए ले जाया जा रहा था जिन्होंने तथाकथित मुठभेड़ की थी। अधिकतर पुरुषों के वहाँ ना होने के कारण औरतें ही प्रशासनिक आतंक भुगत रही हैं। पुलिस के बदले के डर से बहुत से गाँववालों ने कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये सब बयान और पप्पू का बयान कि पहले गोलियाँ भगवान दास के धर से चलीं थीं नियमित रुप से दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन जब लाल बहादुर की मां और पत्नी, ने कल्लू की मौत की बात कही, तो उन्हें बयान देने से रोक दिया गया। और उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। हमारी टीम के लौटने के कुछ समय बाद ही बयान बदलने और सच छिपाने पर उन्हें मजबूर करने के लिए कल्लू के रिश्तेदार लाल बहादुर को हिरासत में ले लिया गया है।

दूसरे गाँव

मारे गए सभी लोग आसपास के गाँवों– भीटी, नडिहार, बहिकटवा आदि के रहने वाले थे। उनके आघातग्रस्त परिवारों को (चाहे वो बगाहीं में एक संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के अध्यापक लक्ष्मीशंकर की पत्नी गीता हों या किसान इंटर कॉलेज के छात्र सुरेश के पिता नडिहार निवासी शंकर हों) उनकी मृत्यु की खबर समाचार पत्रों में उनकी तसवीरें छपने पर ही मिली। भीटी भवानीपुर से सटा हुआ गाँव है। लेकिन भीटी निवासी शेषमणि के पिता तुलसी हरिजन से भी पुलिस ने लाश की शिनाख्त करने के लिए कोई संपर्क नहीं किया।

अब पुलिस उनसे मारे जानेवालों की शिनाख्त करवाने के लिए रोज़ चक्कर लगा रही है। सुरेश के पिता ने जवाब में मजिस्ट्रेट को अपने बेटे के पुलिस द्वारा मारे जाने के विषय में अर्जी दी है। लेकिन लक्ष्मीशंकर की पत्नी आज भी सदमे की हालत में हैं। भुग्तभोगियों के परिवारों को आज भी यह विश्वास नहीं होता कि काम पर या दावत पर भवानीपुर गए उनके परिवारों के सदस्य पुलिस की

साले, नक्सलाइट पाले हो !

पुलिस ने कल्लू की माँ, दादा और पिता राम खिलावन, गुड्डू की माँ दुआसी और पिता कामताप्रसाद को "नक्सलाइट पालने" के "जुर्म" के लिए बहुत मारा पीटा।

कल्लू तीन भाइयों में मझला था। उसके टीचरों के मुताबिक एक बुद्धिमान छात्रा था।

शेषमणि एक २४ वर्ष का नवयुवक था। आइ. टी. आइ से डिप्लोमा प्राप्त। सवर्ण प्रधान भीटी गाँव में दलित समुदाय का एक प्रमुख वक्ता था। स्थानीय लोक गीत- चैती गाने में भी माहिर। गाने के लिए काफ़ी सराहना भी प्राप्त हुई थी उसे। गुड्डू और डबलू कक्षा ८ और ९ के छात्रा थे। उनका पूरा भविष्य उनके सामने था।

मृत्यु की ख़बर मिलने पर, कल्लू के माँ, बाप, १० मार्च की सुबह अपने बेटे के शव को लेने के लिए मिर्ज़ापुर पहुँचे। जाते वक्त उन्होने देखा कि शवों को ट्रेकटर पर लादकर मिर्ज़ापुर ले जाया जा रहा था। पुलिस स्टेशन पर अपने पोते के शव को देखने की अनुमति मांगने पर कल्लू के दादा को बुरी तरह पीटा गया। "साले, नक्सलाइट पाले हो"- कहते हुए गालियाँ दी गई। अंत में कल्लू के परिवार को १० मार्च को रात ९ बजे के करीब मिर्ज़ापुर के चौबे घाट पर क्रिया-कर्म करने दिया गया। पुलिस ने बाकी शव भी वहीं जलाये। कल्लू का ही एकमात्रा परिवार था जो कि पुलिस गोली से मारे गए परिवार जन के शव को देख पाया।

शेषमणि के पिता तुलसी अब घर में अकेले हैं। उनका लायक बेटा मार दिया गया है। घटना के बाद एक महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया है- तुलसी दुख से पागल सा हो गया है- वह आज भी अपने आँसुओं को नहीं रोक पाता है। लोगों की न्याय और समानता की आकांक्षाएं और दमन के खिलाफ़ विरोध की मांगों को पुलिस पूरी तरह नकारती है। शोषण के खिलाफ़ लड़ने वाले आंदोलनो से जुड़े लोगों को पुलिस "नक्सलाइट" करार देती है। और नक्सलाइट का दर्जा ही पुलिस को हत्या करने की खुली छूट दे देता है!

दुआसी, जिनका बेटा बस काम के लिए घर से निकला और मारा गया; गीता बाई, जिन्हे एक ख़ून से ढके हुए शव की तस्वीर दिखाई गई और अपने पति को पहचानने का आदेश दिया गया, और वह पहचान नहीं पाई; जगनारायण, जिसके आँखों के सामने उसके छोटे भाई को मारा गया - इन सब के लिए, और उन सभी लोगों के परिवारों, पड़ोसियों व रिश्तेदारों, इलाके के ग़रीब, दलित गाँववसियों के लिए - दुख और डर के दिन आ गये हैं।

बर्बरता का शिकार हो चुके हैं। उनमें से कुछ मौत की दुखद सच्चाई को स्वीकार करने से मुँह मोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मृतकों के शरीर नहीं दिखाए गए हैं। पुलिस इन सब परिवारों से ज़बरदस्ती यह कबूलवाने की कोशिश में है कि मारे गये लोग नक्सलवादी थे। अपने इस प्रयास में पुलिस प्रायः मौत या पुलिस यंत्रणा की धमकियों का प्रयोग करती है। बहुतों को मारपीट व गालीगलौज का सामना करना पड़ रहा है (देखें दुआसी की कहानी)। जिस समय हमारी टीम इलाके में पहुँची उस समय भवानीपुर और आसापास के गाँवों में पुलिस आतंक का माहौल बना हुआ था।

पुलिस की कहानी

पुलिस के अनुसार, उसे ६ मार्च २००१ को सुबह लगभग ११:३० बजे सूचना मिली कि थाना मड़िहान के भवानीपुर गाँव में 'खतरनाक नक्सलवादी' ठहरे हैं। डी.आई.जी. शिव कुमार शर्मा के अनुसार उन्हें खबर मिली थी कि ६ मार्च को भवानीपुर में पनाह लिए हुए गिरोह ने ८ मार्च को एक हत्या करी थी। स्टेशन ऑफीसर दिलीप सिंह को यह समाचार भेजा गया था। वो कुछ कॉनस्टेबलों को साथ लेकर भवानीपुर रवाना हो गया। रास्ते में अहरौरा थाने का एस.ओ. और चुनार के सर्कल आफीसर भी साथ हो लिए थे। ये सब करीब दोपहर १:३० बजे भवानीपुर पँहुचे। उनके साथ कुछ ३५ पुलिस वाले थे। उन्होंने कोल और चमार टोलों को घेर लिया और तलाशी शुरु कर दी। वे उन घरों की तलाशी ले रहे थे जिनमें नक्सलवादियों के होने का शक था। एस.आई. दिलीप सिंह व ५ कांस्टेबल भगवान दास के घर पहुँचे। घर में कोई है या नहीं यह पता लगाने के लिए उन्होंने गाँव की एक लड़की और एक युवक को अंदर जाने को मजबूर किया।

इसके बाद पुलिसवाले घर के अहाते में घुसे और फिर दयोढ़ी के बाहर बने चबूतरे पर। उन पर घर के अंदर से तीन राउंड गोलियां चलाई गई। सिर्फ दस फीट दूरी पर मौजूद होने के बावजूद और वो भी जब वे रोशनी में स्पष्ट रूप से दिख रहे थे, किसी भी पुलिस वाले को कोई गोली नहीं लगी। दिलीप सिंह ने बदले में अपनी ए.के. ४७ से गोलियां चलाई और उनके अनुसार कुछ नक्सलवादियों को घायल कर दिया। नक्सलवादी फिर घर की परछत्ती पर चढ़ गए और उसमें बने झरोखों में से अहाते में खड़े पुलिसवालों पर गोलियां बरसाने लगे। यह सिलसिला करीब १७–१८ मिनटों तक चलता रहा। इस दौरान पनाह ढूंढते दिलीप सिंह की बांई बांह में ३०३ राइफल की गोली लगी। वह घर से भाग खड़ा हुआ। इसके कुछ समय बाद ही कांस्टेबल नामवर सिंह की दाँई बाँह में गोली लगी। पुलिस पीछे हट गई और और पुलिस बल आने का इंतज़ार करने

पहचान का सवाल

उत्तर प्रदेश के पुर्वी जिलों की पुलिस, मिर्ज़ापुर के आई.जी., डी.आई.जी. और एस. पी. जैसे उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में आजकल काफी कठिन परिस्थिति में फंस गई है। वो यह झुठला नहीं सकती कि १६ लाशें पुलिस द्वारा मारे गए लोगों की हैं पर वो पता नहीं लगा पा रही कि ये लोग आखिर थे कौन?

यहाँ से शुरु होती है एक लंबी जटिल कहानी जिसमें पुलिस मृतकों को 'खतरनाक नक्सलवादी' साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

उमा शंकर की कहानी इस पूरी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। पुलिस ने उमा शंकर उर्फ गुड्डू का नाम भवानीपुर में मारे जाने वालों की सबसे नयी सूची में नौवें नम्बर पर दिया है। पर उसकी माँ दुआसी का साफ कहना है कि पुलिस द्वारा दिखाई गई तसवीर उनके बेटे की नहीं थी। पुलिस ने उसे पीटा और उसके पति की हत्या करने की धमकी दी। पुलिस चाहती है कि वे मान लें कि वो तसवीर उनके बेटे की थी और यह भी कि वो एक आतंकवादी था।

प्रश्न ज्यों के त्यों बने हुए हैं। फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मारा गया लड़का कौन था? क्या वह एक 'खतरनाक नक्सलवादी' था; अगर हाँ तो कौन?

समाचार पत्रों के अनुसार लक्ष्मी शंकर भी 'नकस्लवादी गुंडों' में से एक था। लक्ष्मी शंकर भी पिछले दो वर्षों से बगाहीं के एक स्कूल में अध्यापक था और चार बच्चों का पिता था। ७ मार्च को प्रातः ७:३० बजे वह रोज़ जैसे स्कूल गया था। उसने अपनी पत्नी गीता देवी को बताया था कि अगले दिन उसे एक दावत में जाना था और वो महीने की ९ तारीख को लौटेगा। भवानीपुर की घटना के बाद पुलिस उसकी पत्नी के पास एक तसवीर शिनाख्त के लिए लाई। गीता देवी ने पुलिस से विनती की कि शिनाख्त के लिए उन्हे अपने पति का शव देखने दिया जाए पर पुलिस ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। लक्ष्मी शंकर का नाम अभी मारे जाने वालों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

पर सवाल वैसे ही बने हुए हैं। क्या लक्ष्मी शंकर मर चुका है? गीता देवी रुआसी हो कर पूछती है कि वो चार बच्चों को कैसे पालेगी। क्या सीधा साधा लक्ष्मी शंकर एक 'खतरनाक नक्सलवादी' था, जिसके सिर पर गंभीर आरोप लगे हुए थे?

२१ मार्च की अपनी प्रारंम्भिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई मृतकों की सूची में धौराहा के राम भजन के बेटे सुरेश और नड़िहार के शंकर हरिजन के बेटे सुरेश के नाम शामिल थे। पर बाद में सी.पी.आई.(एम.एल.- लिबरेशन) ने जीते जागते सुरेश पुत्र राम भजन को पेश कर दिखाया!

पुलिसवालों के इस दावे पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि नक्सलवादी नेता देबनाथ और लालव्रत जिनके ऊपर हज़ारों रुपयों के पुरस्कार हैं भवानीपुर में मारे गए थे। पुलिस कोई भी ऐसी तसवीरें पेश नहीं कर पाई है जिनकी अभिपुष्ट शिनाख्त हुई हो।

लगी। दिलीप सिंह के अनुसार इस समय तक 'नक्सलवादी' गोलियों के १००–२०० राउंड चला चुके थे। घायल पुलिसवालों को करीब दोपहर २ बजे अस्पताल ले जाया गया।

शाम करीब ४ बजे मिर्ज़ापुर और पास के सोनभद्र और चंदोली जिलों से लगभग १५० पुलिसवाले और पहुँचे। आई.जी.(वाराणसी ज़ोन) वी.के.सिंह, डी. आई.जी. (मिर्ज़ापुर), एस.पी. (सोनभद्र), ए.एस.पी.(चंदोली) व एस.पी. (सोनभद्र) भी घटनास्थल पर पहुँच गए थे। इसके बाद पुलिस दलित टोले में दाखिल हुई और उसने गाँववालों को हाथ उठाकर बाहर आने का आदेश दिया। शाम ४:१५ बजे तक लगभग सब गाँववाले बाहर आ गए थे। उन्हें गाँव के साथ लगी सूखी नहर पर बैठने को कहा गया।

भवानीपुर गाँव के बाहर के आए लगभग २० लोगों को अलग ले जाकर बंदूक की नोक पर उन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर के उनकी तलाशी ली गई। आई.जी. के अनुसार उसके बाद उन्हें दूसरे लोगों के साथ बैठने को कहा गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गोलीबारी जारी थी। करीब हर ३० सैकेंड के बाद गोलियों का एक राउंड चलाया जा रहा था। गोलियां लगभग दर्जन घरों से आ रही थीं। आई.जी. का कहना था कि पुलिस ने लोगों से गोलियां रोकने और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था पर नक्सलवादियों ने उसे अनसुना कर दिया। उसने कहा कि 'मुठभेड़ के नियमों' के अनुसार अगर रोकने के आदेश के बावजूद गोलीबारी होती रहे तो पुलिस को निष्ठुरता से आक्रमण करने की छूट होती है।

इसके बाद पुलिस ने घर घर तलाशी ली और उन घरों पर गोलीबारी करती रही जहाँ से गोलियाँ चल रही थीं। यह सिलसिला तकरीबन ६ बजे तक चला। फिर पुलिस ने गाँव में अलग अलग स्थानों से १६ लोगों के शवों को इकट्ठा किया। कुछ हथियार, खाली और भरे कारतूस और 'नक्सली' साहित्य भी बरामद हुआ। आई.जी. ने दोनों लड़कों की मौत को उचित ठहराया है क्योंकि उसके अनुसार वे दोनों 'खतरनाक नक्सलवादी' थे। आई.जी. के अनुसार एल.टी.टी.ई. की तरह देखा देखी नक्सलवादी भी औरतों और १२–१४ साल के लड़कों को अपने गिरोहों में शामिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस को गाँववालों से जानकारी मिली थी कि गाँव में नक्सलियों के साथ लड़के भी थे। ये लड़के नक्सलवादियों के संदेश ले जाते थे और इस तरह 'गिरोहों' के सदस्य थे। इसलिए उन्हें मार देना ही उचित था। बेकसूरों के मारे जाने की संभावना पर डी. आई.जी. ने कहा, "गाँव खाली करवाने के बाद जो कोई भी गाँव में बचता है कसूरवार है और उसका मरना या मारा जाना सही है"।

'मुठभेड़' के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई

है और अभी जाँच चल रही है। लेकिन जाँच की स्थिति या आई.ओ. के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अगर पुलिस की कहानी को ही सच मानें तो यह स्पष्ट है तलाशी की शुरुआत में ही पुलिस ने दो लोगों को वहां भेजा जहां हथियारबंद अपराधियों के मौजूद होने की संभावना थी। दो बेकसूर व्यक्तियों को ऐसे खतरे में डालकर पुलिस ने अधिकारियों के रूप में अपने ड्यूटी का उल्लंघन किया। स्वयं आई. जी. के अनुसार उस समय 'माहौल खतरे से भरा' हुआ था। ऐसी स्थिति में लोगों को बाहर आने का आदेश देना, पुलिस के जनता की रक्षा करने के दायित्व के प्रतिकूल है।

पर पुलिस की कहानी को सही मान लेना असंभव है। भवानीपुर के निवासियों के अनुसार जिन गाँव के बाहर वालों को घर खाली करवाए जाने के दौरान अलग किया गया था वो फिर कभी नज़र नहीं आए। घरों के खाली करवाए जाने के बाद उनमें कोई नहीं था, इसलिए पुलिस का 'भीषण मुठभेड़' का दावा काफी खोखला व झूठा है। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि मारे जाने वाले वही बाहरवाले थे जो घर खाली करवाए जाने के समय बाहर आए थे और जिन्हें मारने के प्रयोजन से जानबूझ कर अलग किया गया था।

पुलिस की सूची में मारे जाने वालों की शिनाख्त इस तरह की गई है।

१. देबनाथ उर्फ भगत, पुत्र राम दुलारे कोल, निवासी मझगावन थाना नौगढ़, चंदोली

२. लालव्रत, पुत्र बचाऊ कोल, निवासी मटियावन, थाना नौगढ़, जिला चंदोली

३. शेषमणि हरिजन, पुत्र तुलसी हरिजन, निवासी भीटी, थाना मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर

४. सुरेश उर्फ डबलू, पुत्र शंकर हरिजन, निवासी नडिहार, थाना मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर

५. अरुण उर्फ मणिराम उर्फ लालमणि, पुत्र राम अचल निवासी पुरेनिया, थाना मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर

६. साधु उर्फ सुभाष, पुत्र बचन, निवासी मूसा खरी, थाना चकिया, चंदोली

७. हरि नारायण उर्फ कल्लू, पुत्र राम खिलावन, निवासी खैरपुर, थाना कर्मा, जिला सोनभद्र

८. राम नारायण उर्फ त्यागी, पुत्र रामलाल, निवासी मर्छा, थाना मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर

६. उमा शंकर उर्फ गुड्डू उर्फ अवधेश कुमार, पुत्र कामता प्रसाद कोल, निवासी बिशुनपुर, थाना मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर

अन्य शवों की पहचान घटना के एक महीने बाद तक नहीं हुई थी जबकि उनका दाह संस्कार बहुत पहले किया जा चुका था।

पुलिस का दृष्टिकोण

संवैधानिक ढांचे के तहत काम करने की सोच, कानून व्यवस्था और विधि अनुसार चलने और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार अपनी ड्यूटी करने के बजाय पुलिस का दृष्टिकोण पूरी तरह से 'आतंकवादी हिंसा' से देश को खतरे के बढ़े चढ़े हउए से रंगा हुआ है। उनकी यह सोच और बुराइयों से मुक्त करने वाले व देश को बचाने वालों की अपनी खुद ओढ़ी हुई भूमिका के चलते वो कानून हाथ में ले रही है और बिना कानूनी प्रक्रिया और अभियोजन के लोगों को सीधे सीधे मार रही है। जांच पड़ताल, सबूत जुटाने व अभियोजन की लंबी जटिल प्रक्रिया के बजाय १६ लोगों को खतम कर देना स्वयं आई.जी. के अनुसार मुक्ति का सूचक है, जिसमें ईनाम और लोगों की वाहवाही दोनों मिलती हैं। ये वो तरीके हैं जो पुलिस की ड्यूटी और भूमिका दोनों को तिलांजलि देते हैं। देश को खतरे का हउआ, डी.आई.जी. के इस कथन से साफ जाहिर है कि असल में क्षेत्र में एक 'चीनी एजेंट' घुस आया है जो एम.सी.सी. की मदद कर रहा है और क्षेत्र के एक व्यक्ति को गुरिल्ला प्रशिक्षण के लिए चीन भेजा गया है।

आई.जी. का कहना है कि देश में हो रही सारी उग्रवादी हिंसा में से ४० प्रतिशत नक्सलवादियों द्वारा की जाती है। नक्सलवादी पूरे बिहार और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के २/३ भाग और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उडीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में छाए हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये 'खतरनाक नक्सलवादी' अब अपनी गतिविधियां और आतंक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फैला रहे हैं, जहाँ अभी तक शांति और समानता का राज था। डी.आई.जी. ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसमें कुख्यात पी.ए.सी. भी शामिल है, देश का 'सबसे अनुशासित दल' है जो देश के इन दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। इस समस्या से निपटने के लिए पी.ए.सी. की दो टुकड़ियों का 'स्पेशल टास्क फोर्स' के रुप में गठन किया गया है। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह बजट में बढ़ोतरी कर देंगे। असल में इस क्षेत्र के अभिजात्य वर्ग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियो के बीच नक्सलवाद के तथाकथित 'दानव' का बढ़ा चढा स्वरुप प्रस्तुत करने की साजिश चल रही है। वे आस लगाए बैठे हैं कि नक्सलवाद से निपटने के नाम पर क्षेत्र को १६०० करोड़ की आर्थिक सहायता आबंटित की जाएगी। और यह राशि पूरी तरह पुलिस द्वारा नियंत्रित होगा।

यह साबित करने की कोशिश में कि क्षेत्र में और अधिक पैसे, हथियारों, कारतूसों और भारी तादाद में पुलिस की ज़रुरत है, पुलिस रोज़ होने वाले आम अपराधों को भी नक्सलवादियों के सिर मढ़ रही है। प्रथम सूचना रिपोर्टों में भी इस ही अनुसार जानकारी दर्ज़ की जा रही है। इस तरह पुलिस ने नक्सलवादी अपराधों का एक भारी भरकम और दहला देने वाला पोथा तैयार कर लिया है जिससे केन्द्र से जल्द से जल्द व आसानी से आबंटित पैसा निकलवाया जा सके।

इस इलाके में बहने वाली कर्मनाशा नदी के नाम पर इस जिले के विकास प्रस्ताव का नाम 'ओपरेशन कर्मनाशा पेकेज' रखा गया है। आई.जी. ने बताया कि उन्हें आशा थी कि नक्सलवाद से निपटने के लिए और धनराशी उपलब्ध करवाई जाएगी।

आई.जी. का सोचना था कि नक्सलवाद के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को नज़रअंदाज़ कर के उसे आम आपराधिक गतिविधियों के रुप में देखना चाहिए। इसलिए वो उन्हें 'लालव्रत गैंग', 'देबनाथ गैंग' आदि के नाम से पुकारते हैं।

निरअपराध मानना:

कानून के अनुसार अभियुक्त बेकसूर होता है। पुलिस को तहकीकात करनी पड़ती है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं और बिना किसी शक की गुंजाइश के अपराध सिद्ध करना पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत, पुलिस की बात–चीत से यह साफ ज़ाहिर है कि अपराध साबित होने से पहले ही उसने मारे गए लोगों को अपराधी मान लिया है।

मारे जाने वालों के बेकसूर होने की संभावना पर टिप्पणी थी, "अगर वो बेकसूर थे तो वहाँ क्या कर रहे थे?" उनका कहना था कि "गाँव खाली करवाने के बाद जो कोई वहाँ बचता है वो कसूरवार है। वो अपराधी हैं अतः गोलीबारी में उनके मारे जाने में कुछ भी गलत नहीं है।"

बेकसूरों के मारे जाने की संभावना से संबंधित सब प्रश्नों का डी.आई.जी. के पास एक ही जवाब था कि मारे जानेवालों के परिवारों ने न तो किसी ने आवाज़ उठाई और न ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज़ की हैं। उनकी चुप्पी अपने आप में सबूत है कि मारे गए लोग 'खतरनाक नक्सलवादी' थे।

आई.जी. ने हमें बताया कि सारा ऑपरेशन एकदम साफ, स्वाभाविक, भवानीपुर व आस पास के गाँवों के सैंकड़ों लोगों के सामने दिन की रोशनी में किया गया था। शायद वो यह जताना चाहता था कि अगर ऑपरेशन पूरी तरह

'साफ' न होता तो 'मुठभेड़' के प्रत्यक्षदर्शी लोग, वहाँ मौजूद उच्च अधिकारियों से अपना विरोध प्रकट कर पाते। लेकिन पुलिस द्वारा बनाए गए आतंक के माहौल में यह संभावना बहुत ही कम रह जाती है कि लोग घटना के दौरान या बाद में पुलिस अत्याचार के विरु(शिकायत करने की हिम्मत कर पांए।

हरिनारायण उर्फ कल्लू नामक लड़के की हत्या के संबंध में, जो कि उसके भाई ने अपनी आँखों से देखी थी, डी.आई.जी. का कहना था,"हम कह नहीं सकते, वो शायद कारतूस पहुँचाता हो, उसके पास शायद कारतूस हों। हम कह नहीं सकते कौन लड़ाई में शामिल था। मुठभेड़ में तो जो वहाँ मौजूद होता है मारा जाता है।"

एक और मारे गए लड़के सुरेश उर्फ डबलू के 'खतरनाक नक्सलवादी' होने के सबूत के रुप में पुलिस के पास सिर्फ एक चिट्ठी है जो पुलिस के अनुसार उसने मारे गए १३ वर्षीय उमा शंकर उर्फ गुड्डू को लिखी थी। ध्यान रहे उमा शंकर की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। चिट्ठी में शायद और बातों के अलावा डबलू ने बिहार जाने की इच्छा भी व्यक्त की थी। यह समझना मुश्किल है कि एक नौवीं कक्षा के छात्र द्वारा आठवीं कक्षा के छात्र को लिखी हुई एक चिट्ठी जिसमें वो बिहार जाने का ज़िक्र करता है कैसे उसके 'खतरनाक नक्सलवादी' होने का ठोस सबूत मानी जा सकती है, जो पुलिस को उनकी हत्या कर देने का हक देती है। सरकारी नीति के तहत, जो खासकर मौजूदा मुख्यमंत्री बड़ी तन्मयता से निभा रहे हैं, घायल पुलिस कर्मियों को वारदात के पश्चात

आई.जी. ने कहा कि हाल ही में (भवानीपुर कांड के बाद) पुलिस ने एक और १२ वर्षीय लड़के को उठाया है जिसका नाम व पहचान वो हमें नहीं बता सकते थे। उन्होंने बताया कि वो लड़का हथियार, एस.एल.आर. आदि चला सकता था। आई.जी. ने यह जानकारी पक्के सबूत के रुप में पेश की जिसकी बिनह पर वो क्रमश: आठवीं और नौवीं के छात्रों हरिनारायण और सुरेश के कत्ल को सही ठहराना चाह रहा था।

इससे निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आते हैं।

१. आई.जी. ने पुलिस द्वारा उठाए गए लड़के का नाम पता नहीं किया।

२. स्पष्ट है कि लड़के को उठाए जाने के २४ घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। यह स्पष्ट रुप से संविधान के अनुच्छेद २१ व २२ के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

३. ऐसा लगता है कि लड़के को औपचारिक रुप से गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो अभी गैरकानूनी रुप से पुलिस की हिरासत में है।

इस तरह की कार्यवाही पुलिस के लिए रोज़मर्रा की बात है क्योंकि न्यायालय भी बिना नाम, पता वगैरह की जानकारी के हस्तक्षेप नहीं करती।

'खतरनाक नक्सलवादियों' से निपटने में 'अदम्य साहस और शौर्य' दिखाने के लिए दो–दो लाख का पुरुस्कार और पदोन्नति दी गई है। इस तरह के प्रोत्साहन और साथ में मुख्य मंत्री की प्रशंसा किसी भी पुलिस कर्मी को गोली चलाने में तत्पर बनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। डर है कि ऐसे वातावरण में पुलिस ऐसे लोगों को मारेगी जिन्हें आसानी से काबू में किया जा सकता है या जो पहले से ही पुलिस के नियंत्रण में या पुलिस हिरासत में हैं।

पुलिस के अनुसार, अक्टूबर २००० एस.ओ. नौगढ़, ओ.पी.सिंह और एक कांस्टेबल, लालव्रत और देबनाथ गैंगों द्वारा मारे गए थे। पुलिस भवानीपुर की हत्याओं के विषय में खास गर्व अनुभव कर रही है क्योंकि उसका मानना है कि मृतकों में लालव्रत और देबनाथ भी शामिल हैं। ऐसा मानना वाजिब है कि पुलिस द्वारा यह नरसंहार उनके बदले व प्रतिशोध की भावना का परिणाम है।

निष्कर्ष

इन गाँवों का दौरा करने, घटनास्थल का मुआएना करने, आतंक के माहौल से भयभीत गाँववालों के सहमे वर्णन सुनने और प्रमुख अधिकारियों से बातचीत के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचे हैं।

१. ६ मार्च को भवानीपुर के दलित टोले में तथाकथित मुठभेड़ में मारे गए १६ लोग आत्म सर्मपण कर चुके थे और लमभग शाम ४ बजे हाथ ऊपर उठा कर घरों से बाहर आए थे। इन लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया।

२. सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह और कांस्टेबल नामवर सिंह करीब दोपहर १:३० बजे दलित टोले में तलाशी के दौरान शायद दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में घायल हुए।

३. इसके बाद पुलिस की टोली पीछे हट गई और और पुलिस बल आने का इंतज़ार करने लगी।

४. डी.आई.जी., आई.जी. और एस.पी. समेत तीन जिलों मिज़ापुर, सोनभद्र और चंदोली से पुलिस शाम ४ बजे तक घटनास्थल पर पहुँच गई थी।

५. सब लोगों को हाथ ऊपर कर के बाहर आने को कहा गया था। और उसके बाद गाँव के बाहर के लोगों को अलग कर के गोलियों से मार डाला गया था।

६. बस २–३ मिट्टी की झोपड़ियों में २५–३० गोलियों के निशान होना, दिलीप सिंह द्वारा दिए गए, १:३० बजे की छुटपुट गोलीबारी के विवरण से मेल खाता है।

७. बड़े पैमाने पर हुई कई घंटों चलने वाली मुठभेड़ जिसमें कई राउंड गोलियां चलीं हों, के कोई ठोस सबूत जैसे गोलियों के निशान आदि नहीं पाए गए।

८. इस मुठभेड़ में केवल दो पुलिसवालों को ही चोटें आईं। उनके अपने बयान के अनुसार ही यह चोटें दोपहर १:३० बजे आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की कहानी का खोखलापन इसी तथ्य से साफ ज़ाहिर होता है कि ४ बजे हुई नक्सलवादियों द्वारा खतरनाक हथियारों से की गई भीषण गोलीबारी में एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ, जबकि बदले में की गई पुलिस की गोलीबारी में वे सब मारे गए।

९. बेगुनाहों को मारने के बाद पुलिस लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वे 'खतरनाक नक्सलवादी' थे। और इसके लिए परिवारों के सदस्यों को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें पीटा जा रहा है और डराया जा रहा है ताकि वो यह मान लें कि मारे गए उनके परिवार के सदस्य नक्सलवादी और अपराधी थे।

१०. शिनाख्त की कोई भी कोशिश किए बिना, शवों का दाह संस्कार संदेहास्पद जल्दबाज़ी से किया गया। इस तरह परिवारों को अपने परिवार के सदस्यों के शव हासिल करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया। घटना के एक महीने बाद तक भी सात मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी।

११. अन्यायिक रुप से लोगों को खतम कर देने को उचित ठहराने के बाद अब पुलिस फालतू के फर्क – जैसे गाँव वाले और बाहर वाले, नक्सलवादी और बेगुनाह – प्रस्तुत कर रही है। इस सब का इस्तेमाल इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को दबाने के लिए किया जा रहा है – कि क्या मारे गए लोगों ने आत्मसर्मपण कर दिया था या उनके पास कोई हथियार नहीं थे या क्या पुलिस ने उन्हें काबू में करने के बाद मारा था?

१२. घटना के संबंध में शुरु हुई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की जांच निष्पक्ष रुप से नहीं चल रही है। गवाहों को पुलिस की कहानी का समर्थन करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि गवाही के लिए भी उन्हें पुलिस द्वारा ही मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा रहा है।

हम मांग करते हैं

१. ६ मार्च को भवानीपुर में पुलिस द्वारा १६ लोगों के मारे जाने की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जाए।

२. निष्पक्ष और बिना डर के जांच को संभव बनाने के लिए ६ मार्च की घटना में शामिल सभी पुलिस वालों को क्षेत्र से हटा दिया जाए और निलबिंत किया जाए।

३. गुनहगारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

४. मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

कहीं पे भुखमरी की धूप
तीखी हो गई शायद
जो है संगीन के साये
की चर्चा इश्तेहारों में

प्रकाशकः सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली
प्रतियों के लिएः डा. सुदेश वैद, डी–१, स्टाफ क्वार्टर, आई.पी. कालेज, शामनाथ मार्ग, दिल्ली – ११००५४
मुद्रकः हिन्दुस्तान प्रिन्टर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली – ११००३२
सहयोग राशिः ३ रु.